# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 145/2016 दायरा दिनांक : 12.08.2016**

**उनवान**

1— प्रभू लाल पुत्र बंशीलाल, जाति रूवांला, निवासी सरखण्डिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— गोपाल पुत्र बंशीलाल, जाति रूवांला, निवासी सरखण्डिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— ओम प्रकाश पुत्र प्रभू लाल, जाति रूवांला, निवासी सरखण्डिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— गिरवर सिंह पुत्र प्रभू लाल, जाति रूवांला, निवासी सरखण्डिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

**बनाम**

1— घीसा पुत्र रामा, जाति रूवांला, निवासी सरखण्डिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— मदन पुत्र रामा, जाति रूवांला, निवासी सरखण्डिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— पानी पुत्री रामा, बेवा पन्ना, जाति रूवांला, निवासी सरखण्डिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— गोपीलाल पुत्र किशना, जाति रूवांला, निवासी सरखण्डिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5— शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अकलेरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

6— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री श्यामसुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 03.04.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 57/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2, 3 ने अपीलांटगण एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सरखण्डिया, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 46 में खसरा नम्बर 106 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 339 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 540 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 542 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 547 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 601 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 691 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 703 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 852 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 867 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा कुल 11 किता की 22 बीघा 17 बिस्वा आराजी वादीगण और प्रतिवादी नम्बर 5 के शामलाती खाते में दर्ज है, जिसमें वादीगण का 1/2

हिस्सा है । ग्राम सरखण्डिया, तहसील अकलेरा में नयी खतौनी संख्या 46 की खसरा नम्बर 691 की 2 बीघा 14 बिस्वा में से 1 बीघा 14 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 ने 2 वर्ष पूर्व जबरन कब्जा कर लिया है, जिसे बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी हैं । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये और प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.05.2016 से दावा वादी डिक्री कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि शिविर में सभी अपीलांट उपस्थित नहीं थे । अपीलांट को जवाबदावा पेश करने का अवसर नहीं मिला है । अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.08.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । लोक अदालत में बिना राजीनामे के, बिना अपीलांट की उपस्थिति के निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी, इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण में से घीसा, मदन और प्रतिवादी में से प्रभू लाल उपस्थित हुए हैं । समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए है और न ही कोई राजीनामा पेश किया गया है, फिर भी उसी दिन दावा डिक्री किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.06.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा